

2019


(लोक सभा आम चुनाव-2019)

निर्वाचन निर्देश-पुस्तिका

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग



5



(लोक सभा आम चुनाव-2019)

निर्वाचन निर्देश-पुस्तिका

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एफ 19-30/2019/1/4

भोपाल, दिनांक 07-03-2019

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय.---लोक सभा आम चुनाव 2019---आदर्श आचार संहिता का पालन।

आगामी लोक सभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित आदर्श आचरण संहिता के तहत निर्देश दिये गये हैं। शासकीय सेवकों का यह दायित्व है कि इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं निर्वाचन के दौरान अपने आचरण एवं व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें।

2. संलग्न निर्वाचन निर्देश-पुस्तिका में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का संकलन किया गया है। इसके अलावा कई विशिष्ट निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए है, जो उनके वेबसाईट पर उपलब्ध है। लोक सभा चुनाव 2019 को निर्विघ्न एवं निर्बाधित रूप से सम्पन्न कराने हेतु कृपया इन सभी निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित करें।

्र्रेर्ग्न् मोहर्न (सुधि रंजन मोहर्न मख्य सचिव

मुख्य सायय मध्यप्रदेश शासन

(i)

पु. क्रमांक एफ 19-30/2019/1/4

प्रतिलिपि :

1. मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग,

2. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश, 🗉

3. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश,
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित,

1. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव,

2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,

3. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर,

4. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,

5. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल,

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,

7. संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,

को सूचनार्थ अग्रेषित.

(धरणौड कमॉर

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

विषय-सूची

स.क्र.	विषय	पृष्ठ
1.	सामान्य.	1
2.	शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण.	1
3.	वाहनों की व्यवस्था.	5
4.	उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निजी वाहन से यात्रा	6
-	करने की अनुमति. पेट्रोल/डीजल आदि की व्यवस्था.	7
5.	विश्रामगृहों/विश्राम भवनों में कमरों का आरक्षण.	7
6. -	चुनाव हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था.	8
7.	चुनाव हुए कन पारिना का जनवरनाः शिकायतों का निराकरण.	9
8.	, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को सुविधाएं.	10
9. 10.	शासकीय मुंद्रणालयों में मतपत्रों के मुंद्रण को संवच्चि	10
	प्राथमिकता.	11
11.	स्थानीय चुनावों पर प्रतिबंध	
12.	स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध.	11
13.	निर्वाचन की अवधि में मंत्रियों द्वारा आश्वासन तथा अनुदान	13
	की घोषणा न करना.	
14.	राजनैतिक दलों से व्यवहार के संबंध में निष्पक्षता.	14
15.	कल्याणकारी कार्यक्रमों आदि की घोषणा.	15
16.	निर्वाचन कार्यों की वीडियोग्राफी.	15
17.	निर्वाचन के पूर्व से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्यवाहियां करना.	16
18.	चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही.	17
1 9 .	क्या करे क्या न करे आयोग का पत्र 7-1-07.	1
17.	परिशिष्ट	
	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28-क,	3
	129, 134 एवं 134-क का उद्धरणएक.	
	भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. 4/2001/न्यायिक/II,	4
	दिनांक 07-02-2001 का उद्धरण—दो.	

~

लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन निकट भविष्य में सम्पन्न होने जा रहे हैं. इस कार्य के लिए शासकीय तंत्र को तैयार करना है. शासन चाहता है कि इस चुनाव में कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाएं. चुनाव कार्य के लिए राज्य और भारत सरकार के कार्यालयों के बहुत से कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा. कार्य इतने व्यापक स्वरूप का है कि प्रत्येक विभाग के भरपूर सहयोग के बगैर चाहे वह वाहन एवं अन्य संसाधनों के रूप में हो, या कर्मचारियों के रूप में, यह कार्य सुचारू ढंग से सम्पन्न नहीं हो सकता.

शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण :

2.1 शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए. यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं. जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी शंका भी हो सके कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं. संक्षेप में शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि सरकार में उनकी हैसियत या उन्हें प्रदत्त अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके. किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 एवं 134-क की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनके अनुसार निर्वाचनों से सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न ही उसे मत देने हेतु किसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे. इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन में खड़े किसी अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है. इससे संबंधित धाराओं के उद्धरण परिशिष्ट-एक में दिये गये हैं. 2.2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28-क (उद्धरण परिशिष्ट-एक) के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी/कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे. निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग अनुशासनिक कार्यवाही कर सकेगा. (उद्धरण परिशिष्ट-दो)

2.3 निर्वाचनों से सशक्त पदीय कर्त्तव्य को यथोचित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक करना विधि द्वारा अपेक्षित कर्त्तव्य है, जिसकी अवहेलना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है. इस विषय में आपका ध्यान विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसका उद्धरण परिशिष्ट-एक में दिया गया है.

2.4 चुनाव की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि में मंत्रियों को यात्रा के दौरों के सिलसिले में शासन निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता है :—

2.4.1 जब कभी मंत्री जिले में शासकीय भ्रमण पर आएं और सर्किट हाउस या विश्राम गृह में ठहरें, तब हमेशा की तरह उनके आगमन/प्रस्थान के समय उपस्थित रहना चाहिए. यदि मंत्री किसी निजी निवास पर ठहरते हैं तो आगमन और प्रस्थान के समय किसी अधिकारी को जाने की जरूरत नहीं है. यदि किसी सरकारी काम से कोई मंत्री किसी अधिकारी को सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में बुलाए तो जाना चाहिए. परन्तु किसी के निजी मकान पर जहां मंत्री ठहरे हों, नहीं जाना चाहिए. निर्वाचन से संबंधित अधिकारी तद्विषय में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें. 2.4.2 यदि मंत्री शासकीय भ्रमण पर हों और जिला मुख्यालय में सर्किट हाउस में ठहरें, तो हमेशा के अनुसार गार्ड लगाई जाए. (पचमढ़ी को जिला मुख्यालय माना जाएगा.) यदि मंत्री किसी के निजी मकान पर ठहरें, तो गार्ड का प्रबंध न किया जाए. यदि मंत्री गावों के दौरे के समय किसी रेस्ट हाउस में ठहरें, तो भी गार्ड का प्रबंध करने की जरूरत नहीं है. जहां तक मंत्री की खुद की सुरक्षा का प्रश्न है, उनके साथ बाडीगार्ड रहता ही है. यदि पुलिस अधीक्षक यह महसूस करते हैं कि किसी विशेष कारण से अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है, तो वह बगैर वर्दी के एक या दो सिपाही लगा सकते हैं. यह पुलिस अधीक्षक के विवेक पर निर्भर करेगा कि वे सिपाही हथियार सहित रहेंगे, या बगैर हथियार के.

2.4.3 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक 437/6/96/पी.एल.एन.-111/2619, दिनांक 17-01-1996 के अनुसार निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि में केन्द्र या राज्य शासन के कोई मंत्री ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरा नहीं करेंगे. जिनमें निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है (केवल कुछ अपवादिक स्थितियों को छोड़कर). निर्वाचन आयोग के उल्लेखित आदेश का उद्धरण निम्नानुसार है :--

Henceforth no minister either of Central or State Government shall undertake an official visit of any constituency from which elections have been announced by the Commission during the period commencing with the announcement of the elections up to the end of the election process.

The Commission also directs that no Minister will summon any election related Officer of the constituency or the State in which any elections have been announced, to a place of office or guest house outside the aforesaid constituency for any official discussions during the period of elections commencing with the announcement of elections from such constituency and ending with the completion of election process. The only exception to these instructions will be when a Minister, in his capacity as incharge of the concerned department, or a Chief Minister undertakes official visit to a constituency, or summons any election related officer of this constituency to a place outside the constituency in connection with failure of law and order or a natural clamity or such emergency which requires personal presence of such Ministers/Chief Minister for the specific purpose of supervising review/salvage/relief and such like purpose.

मंत्रियों के आगमन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के उल्लेखित निर्देशों को ध्यान में रखकर उनका परिपालन सुनिश्चित किया जाए. पैरा 2.4.1 और 2.4.2 के निर्देश उसी स्थिति के लिए हैं. जब भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त परिपन्न में उल्लेखित अपवादिक स्थितियों में भ्रमण शासकीय भ्रमण हो.

2.4.4 यदि मंत्री संस्था या पार्टी की ओर से आम सभा आयोजित करते हैं, तो सभा की व्यवस्था नहीं की जाए. केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा.

2.4.5 यदि कोई मंत्री चुनाव के कार्य से कहीं जाते हैं, तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे.

2.4.6 उन अधिकारियों को छोड़कर, जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, या कार्यवाही नोट करने के लिए तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए.

2.4.7 जब कभी किसी मंत्री को निजी मकान पर खाने-पीने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी उसमें शामिल न हों.

2.5.1 चुनाव संबंधी सभा शासकीय कार्यालयों या सरकारी अमले के मकानों से लगी खुली जमीन पर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. शिक्षण संस्थाओं के खेल मैदानों पर आयोग के निर्देशों/शर्तों के अनुरूप ही अनुमति दी जा सकेगी. 5

2.5.2 सार्वजनिक स्थान पर चुनाव की मीटिंग की अनुमति देते समय विभिन्न राजनैतिक दलों में कोई भेद-भाव नहीं करना चाहिए. यदि एक ही दिन में कई दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं, तो उस दल को अनुमति दी जाए, जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया हो. यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि दो दलों की आम सभा, एक ही समय पर, लगे हुए स्थानों पर होने देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है. ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्षों को यह समझा दिया जाए कि यदि वे अलग-अलग समय अथवा अलग-अलग स्थानों पर सभाएं आयोजित करें, तो अच्छा होगा.

2.6 यदि किसी प्रकार की शंका हो या कठिनाई आये, तो कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी की सलाह लेनी चाहिए.

3. वाहनों की व्यवस्था :

3.1 आगामी लोक सभा चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए वाहनों की काफी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी. ये वाहन चुनाव के लिए आवश्यक सामान और चुनाव कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के कामों में लगाए जाएंगे. आप कृपया अपने विभाग के संभाग तथा जिला स्तर के वाहनों की सूची कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त भेज दें. कलेक्टर द्वारा वाहन की मांग करने पर फौरन उपलब्ध कराएं. वाहन अच्छी और चालू हालत में रखना आवश्यक है, ताकि चुनाव के काम में कोई बाधा न पड़े. इसलिए आप ऐसी व्यवस्था भी करें कि वाहन की मरम्मत समय पर हो जाए, ताकि कलेक्टर को वाहन समय पर चालू हालत में उपलब्ध हो सके.

3.2 उपर्युक्त आदेश पुलिस, होमगार्ड, जनसम्पर्क, वाणिज्यिक बैंक, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र एवं प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राष्ट्रीय उद्यानों के वाहनों तथा एम्बूलेंस और विदेशी एजेन्सियों द्वारा दी गयी ऐसे वाहनों पर लागू नहीं होंगे, जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के पास हैं. 3.3 यदि किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विभाग के वाहन को कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए छूट दिया जाना आवश्यक समझा जाता है तो विभाग को कलेक्टर से संपर्क करना चाहिए. यह कलेक्टर के विवेक पर रहेगा कि वे उन्हें छुट दें अथवा नहीं.

3.4 निर्वाचन को घोषणा होने के उपरांत समस्त विभागाध्यक्षों को विभागीय वाहनों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवा लेना चाहिए. वाहन मरम्मत हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक धनराशि का आवंटन एवं स्वीकृति भी शीघ्र दी जानी चाहिए. आवश्यकता होने पर कलपुर्जों, टायर-ट्यूब्स, बैटरी आदि के क्रय के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए. इसके लिए तत्काल सक्षम अधिकारियों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना चाहिए.

3.5 निर्वाचन के लिए बड़ी संख्या में बसों/ट्रकों की आवश्यकता होती है, अत: निर्वाचन की घोषणा के उपरांत परिवहन आयुक्त अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसरों (आर.टी.ओ.) को, यह निर्देश देने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टरों से संपर्क स्थापित करें और उपलब्ध बसों/ट्रकों की जानकारी देते हुए विभिन्न कलेक्टरों को वाहन उपलब्ध कराने हेतु पूरा सहयोग देवें.

3.6 चुनाव की अवधि में उपयोग में लाई जाने वाली वाहनों पर होने वाले खर्चे के बारे में विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किये जाएंगे. इन वाहनों पर होने वाले खर्च का भुगतान उक्त आदेशों के अनुसार किया जाएगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निजी वाहन से यात्रा करने की अनुमति :

मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के उप नियम 25 में निजी वाहन के उपयोग पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है, उसको शिथिल करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सामान्य निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित कार्य के लिए आवश्यकता होने पर अपने निजी वाहनों द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाए.

5. पेट्रोल⁄डीजल आदि की व्यवस्था:

निर्वाचन के दौरान ट्रक/जीप/बस एवं अन्य वाहनों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है. अत: यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में पेट्रोल एवं डीजल की समुचित व्यवस्था की जाए. इस हेतु कलेक्टर को संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्टाक की स्थिति का आंकलन कर लेना चाहिए. जिले में ऐसे स्थान, जहां पेट्रोल पम्प नहीं हैं, वहां पेट्रोल-डीजल के पर्याप्त मात्रा में भण्डारण की व्यवस्था की जाए.

विश्रामगृहों/विश्राम भवनों में कमरों का आरक्षणः

निर्वाचन की घोषणा के उपरांत निर्वाचन के परिणाम घोषित किये जाने तक की अवधि के लिए विश्राम-गृहों/विश्राम भवनों में कम से कम एक कक्ष निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाए. इस आरक्षित कक्ष के आवंटन में निम्न प्राथमिकता निर्धारित की जाती है:—

- (1) निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक,
- (2) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं उनके कार्यालय के अधिकारी,
- (3) निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी.

यह व्यवस्था उस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए जो संबंधित विश्राम-गृह/विश्राम भवन के प्रभार में हों.

7. चुनाव हेतु कर्मचारियों की व्यवस्थाः

7.1 निर्वाचन कार्य हेतु जिलों के कलेक्टर, सभी विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे. परन्तु दूरदर्शन, आकाशवाणी, राष्ट्रीय उद्यान, पुलिस, होमगार्ड, जनसंपर्क तथा जेल के कर्मचारियों की सेवाएं नहीं ली जाएंगी.

7.2 कलेक्टर संबंधित जिला अधिकारियों को सूचित करेंगे कि चुनाव कार्य के लिए उनके अधीनस्थ पदस्थ किस कर्मचारी को कब और किस जगह काम करना है. जब कभी कलेक्टर कर्मचारियों की सेवाएं चुनाव कार्य के लिए मांगे तो वे तुरन्त उपलब्ध करा दी जाएं और कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाए कि बिना किसी विलम्ब के कलेक्टर के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें.

7.3 चुनाव की अवधि में उन कर्मचारियों को, जिनका चयन कलेक्टर ने चुनाव कार्य के लिए किया हो या जिनके विषय में कलेक्टर ने ऐसी अपेक्षा की हो, बिना कलेक्टर की सहमति के किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाए. अवकाश का प्रकरण कलेक्टर की सहमति हेतु सिर्फ उस स्थिति में भेजा जाए जब संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यन्त आवश्यक हो. अन्यथा उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए.

7.4 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई गई है, या जिनके विषय में कलेक्टर ने ऐसी अपेक्षा की हो उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अन्य कार्य के लिए जिले के बाहर आयोजित बैठकों एवं चुनाव प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाए.

7.5 उन कर्मचारियों और अधिकारियों को जिनकी सेवाएं चुनाव कार्य के लिये ली जाना है, निर्वाचन कार्य हेतु प्रशिक्षण देना होगा, प्रशिक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधित जिला अधिकारी सुनिश्चित करें.

7.6 निर्वाचन अवधि में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, के स्थानांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध का पूर्णत: पालन किया जाए. 7.7 चुनाव कार्य हेतु निम्नलिखित विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं:—

- (1) स्थानीय संस्थाएं/निकाय
- (2) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या संस्थापित या उसके अधीन प्रत्येक विश्वविद्यालय.
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित शासकीय कंपनी.
- (4) राज्य एवं केन्द्र सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत स्थापित कोई अन्य संस्थान, संस्था या उपक्रम, जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या उसके अधीन हो या जो केन्द्रीय शासन या राज्य शासन द्वारा नियंत्रित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त निधियों द्वारा सम्पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से अर्ध सहायता प्राप्त हो.

हाई कोर्ट हैदराबाद के आदेश दिनांक 12-4-96 के अनुसार ऐसी महिलायें जो प्रसव की अग्रिम स्थिति में हों चाहे वे प्रसूति छुट्टी पर गई हैं या नहीं अथवा जो अन्यथा डाक्टरी सलाह पर किसी कठोर या भारी काम के उपयुक्त नहीं हैं और नवजात शिशु को स्तनपान करा रही हों उन्हें मुक्त रखने के लिए आयोग ने निर्देश दिये हैं.

शारीरिक अपंगता से जो कर्मचारी भारी काम नहीं कर सकते, उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त रखने के लिए आयोग ने निर्देश दिये हैं.

8. शिकायतों का निराकरणः

8.1 शासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी स्तर पर मौखिक या लिखित रूप से प्रस्तुत निर्वाचन संबंधी शिकायतें जल्दी से जल्दी निराकृत की जाएं. अभ्यर्थी द्वारा की गई किसी भी प्रकार की शिकायत की जांच 24 घंटे में पूरी की जाकर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाए. अधिकारी जिसे शिकायत प्रस्तुत की गई है, यदि स्वयं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम है तो तत्काल ऐसी कार्यवाही करेंगे. अन्यथा सक्षम स्तर पर इसे प्रस्तुत करेंगे.

8.2 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनके संबंध में आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए विभागों/आयुक्तों/जिलाध्यक्षों से प्रतिवेदन मागें जाते हैं. ऐसी शिकायतों के संबंध में त्वरित जांच कराकर वांछित प्रतिवेदन शीघ्र ही भेजा जाए ताकि निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट समय पर भेजी जा सके.

9. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को सुविधाएं:

9.1 निर्वाचन के समय आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को आयोग के निर्देशानुसार निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में जाने एवं रहने के लिए मुख्यालय छोड़ने व विभागीय वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाए.

9.2 निर्वाचनों के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्वाचन आयोग का प्रेक्षक नियुक्त किया जाता है. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्हें शासन तंत्र, अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के मध्य आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना होता है.

अतएव सभी स्तरों पर उन्हें आवागमन, ठहरने, टेलीफोन, दूरसंचार आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

10. शासकीय मुद्रणालय में मुद्रण सामग्रियों व मतपत्रों के मुद्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता:

निर्वाचन के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के तत्काल पश्चात् मतपत्रों का मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालयों से कराया जाता है. आगामी लोकसभा निर्वाचन में प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराये जाना है. फिर भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के लिए तथा निविदत्त तथा डाक मतपत्रों की आवश्यकता होगी. अत: यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का रहेगा. उपर्युक्त अवधि में शासकीय मुद्रणालयों को कोई सामग्री राजपत्र में मुद्रण के लिए न भेजी जाए जब तक कि वह सर्वथा अनिवार्य न हो.

11. स्थानीय चुनाव पर प्रतिबंध :

निर्वाचन के समय कृषि उपज मंडी समिति, या ऐसे ही अन्य निकायों के अन्य स्थानीय चुनाव यदि होते हैं तो निर्वाचन के कार्य की गति में व्यवधान पड़ने की संभावना रहती है. अत: निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत कोई भी ऐसे चुनाव न कराए जाएं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यदि कोई कार्यक्रम बनाया जाता है, तो उन्हें भी तद्विषयक अनुरोध कर लिया जाए.

12. स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध :

12.1 निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक केन्द्र और राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायतशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग की किसी भी प्रकार की अनुमति विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को न दी जाए. किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा इन वाहनों का निर्वाचन कार्य हेतु या निर्वाचन की घोषणा के बाद उपयोग नहीं किया जावेगा. ऐसी संस्थाओं के वाहनों का उपयोग उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों द्वारा गुप्त रूप से या खुले रूप से करना सरकारी तंत्र का गंभीर दुरुपयोग माना जाएगा. यह प्रतिबंध उन वाहनों पर भी रहेगा जो अन्य राज्यों की ऐसी संस्थाओं की हैं और इस राज्य में आयी हैं, चुनाव प्रचार या चुनावी दौरों के लिए उपरोक्त वर्ग के व्यक्तियों को उपरोक्त प्रकार के वाहन किराये पर देना भी

12.2 किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसमें केन्द्र या किसी राज्य के मंत्री भी शामिल

हैं, भुगतान के बावजूद, ऐसे प्राधिकारियों के ऐसे वाहनों का चुनाव प्रचार हेतु अथवा निर्वाचन से संबंधित दौरों के लिए प्रयोग जो मंत्री होने की हैसियत से निर्वाचन कार्य के लिए फर्जी रूप से प्रमाणित उद्देश्य वश हो, पूर्णत: प्रतिबंधित है. केवल प्रधानमंत्री और दूसरे राजनैतिक व्यक्तित्व इसके अपवाद होंगे, जिन्हें आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के कारण उनके जीवन के प्रति खतरे को देखते हुए, ऊंचे दर्जे की सुरक्षा की आवश्यकता है और जिनकी सुरक्षा की अपेक्षाएं संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा इस हेतु बनाए गए किसी संविधिक उपबंध द्वारा शासित होती है. उक्त प्रतिबंध भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उपाध्यक्ष और ऐसे अन्य विशिष्ट व्यक्तियों पर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में दौरा करते हैं, पर भी लागू नहीं होंगे, तथापि यह स्पष्ट है कि ऐसे अपवाद केन्द्र या सरकार के किसी मंत्री के संबंध में नहीं किए जायेंगे.

12.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (5) में यह उपबन्धित है कि किसी अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को मुफ्त में मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना अधिनियम के अन्तर्गत ''भ्रष्ट आचरण'' है.

लोकसभा के निर्वाचन के लिए मतदान के दिन, प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित का हकदार होगा :—

(क) पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रयोग के लिए एक वाहन;

(ख) इसके अतिरिक्त प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अपने निर्वाचन एजेंट या कार्यकर्ता या पार्टी कार्यकर्ताओं, जैसे भी मामला हो के प्रयोग के लिए एक वाहन.

उपर्युक वाहनों के लिए परमिट जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी

किया जाएगा. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए परमिटों को लगायें.

निर्वाचन की अवधि में मंत्रियों द्वारा आश्वासन तथा अनुदान की घोषणा न करना :

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता से संबंधित कंडिकाएं निम्नानुसार हैं :—

"VII (5) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जबसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं, विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/ अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए.

(VI) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं :--

- (क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय अनुदान या इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं देंगे, अथवा
- (ख) (लोक सेवकों को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे, या
- (ग) सड्कों के निर्माण पीने के पानी की सुविधाएं इत्यादि का आश्वासन नहीं देंगे, अथवा

(घ) शासन सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं करेंगे, जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो.''. 14. राजनैतिक दलों से व्यवहार के संबंध में निष्पक्षता : आदर्श आचरण संहिता के संबंधित अंश के उद्धरण निम्नानुसार हैं :---

"VII- (1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का उपयोग नहीं करना चाहिये.

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिये उपयोग नहीं किया जावेगा, और

(2) सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उड़ानों के लिए हेलीपेडों के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाएं. ऐसे स्थानों का उपयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल को उपयोग करने की अनुमति दी गई हो.

(3) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक-बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति दी जाएगी, किन्तु कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का (इनके साथ संलग्न परिसरों सहित) प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से उपयोग नहीं करेगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण विज्ञप्ति के लिए सरकारी खर्चे में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना तथा सरकारी जन-माध्यमों का दुरुपयोग बिल्कुल बंद रहना चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां दिखाई गई हों.''.

निर्वाचन के दौरान अपने समस्त कार्य निष्पादन में शासकीय तंत्र द्वारा उपरोक्त

बिंदुओं को ध्यान में रखा जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि आचरण संहिता के विपरीत कार्य में शासकीय तंत्र सहभागी न बने.

15. कल्याणकारी कार्यक्रमों आदि की घोषणा :

सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने की गतिविधियों पर आदर्श आचरण संहिता में उल्लिखित सभी निषेध सिर्फ निर्वाचनों की घोषणा से लागू होते हैं. आयोग के सामने ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें सत्ताधारी दल द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के बाद भी अपनी घोषणाओं या अन्य आश्वासनों को अपनी छवि सुधारने के लिए प्रकाशित/प्रसारित कराते हैं. इस प्रक्रिया में शासकीय अनुदान का लाभ लेने वाली संस्थाओं एवं निजी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है. इस पर भी सतत् निगरानी रखना आवश्यक है.

16. निर्वाचन कार्यों की वीडियोग्राफी :

निर्वाचन की संकटपूर्ण घटनाओं को रिकार्ड के लिए वीडियोग्राफी के अन्तर्गत स्वतंत्र सतर्क एवं सप्रयोजन रीति से वीडियोग्राफी द्वारा रिकार्ड करने हेतु बिन्दु निम्नानुसार हैं:---

- मंत्रियों, मान्यताप्राप्त दलों के उच्च स्तरीय, राष्ट्रीय एवं राज्यीय नेताओं द्वारा संबोधित बैठकों.
- दंगे या दंगों की स्थिति या उपद्रव, पथराव और मारधाड.
- हिंसक घटनाएं, संपत्ति की हानि, लूट, आगजनी और हथियारों का प्रयोग आदि.
- 4. बूथ हथियाना (Booth Capturing)
- 5. मतदाताओं को डराना धमकाना.

- मतदाताओं को साड़ी, धोती, कंबल आदि बांट कर खुले रूप से उन्हें घूस देना.
- मतदान केन्द्र के 100 मीटर के घेरे में प्रचार करते समय विशाल कट आउट द्वारा व्यय का भोंडा प्रदर्शन.

17. निर्वाचन के पूर्व से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्यवाहियां करना :

- निर्वाचन को घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तक नवीन शस्त्र लायसेंस जारी करने पर रोक.
- 2. बुरे एवं गुण्डा तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाना.
- अवैध अस्त्र/शस्त्रों को जप्त करना, सर्व करना एवं संलग्न तत्वों/ व्यक्तियों को गिरफ्तार करना.
- 4. जमानत पर छुटे तत्वों की निगरानी करना.
- हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर कार्यवाही.
- पूर्व निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र पर लूट करने वाले तत्वों पर कार्यवाही/ उनके अस्त्र आदि जप्त करना.
- लायसेंस शुदा उक्त 4,5,6 के व्यक्तियों की पहचान कर आग्नेय अस्त्र जमा कराना तथा लायसेंस निरस्त करना.
- 8. शस्त्रों को लाने ले जाने पर निर्वाचन अवधि में प्रतिबंध करना.
- 9. लारी, छोटे व्हीकल एवं अन्य सभी वाहनों की निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम धोषणा के दिनांक तक सघन जांच करना जिससे अवांछित तत्व शस्त्र/अस्त्रों का परिवहन निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से न करें.
- 18. चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही :

निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से चुनाव परिणाम को घोषणा तक प्रात: 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक ही ग्रामीण क्षेत्रों, नगर निगम, नगरपालिका सीमा में चुनाव सभाओं में लगने वाले लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

464/INST/2007-PLN-I

Dated 07 January 2007

To,

Chief Secretary of States and UTs Chief Electoral Officer of States and UTs

SubJect :---CODE OF CONDUCT-DO's & 'DONT's

The Commission has issued various instructions on observance of code of conduct from time to time. Important aspects of the code of conduct are reiterated below :

On Welfare Schemes and Governmental Works :

- 1. Announcement of new projects or programme or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones, etc., which have the effect of influencing the voters in favour of the party in power is prohibited.
- 2. These restrictions apply equally to new schemes and also ongoing schemes. but it does not mean that in the case of national, regional and State utility schemes, which have already been brought up to the stage of completion, their utilization or functioning in public interest should be stopped or delayed. The coming into force of the Model Code of Conduct cannot be given as an excuse for not commissioning such schemes or allowing them to remain idle. At the same time, it should be ensured that the commissioning of such schemes in done

by civil authority and without associating political functionaries and without any fanfare or ceremonies whatever, so that no impression is given or created that such commissioning has been done with a view to influencing the electorate in favour of the ruling party. If in doubt, a clarification should be obtained from Chief Electoral Officer/Election Commission of India.

- 3. It is further clarified that simply because a budget provision has been made for any particular scheme or the scheme has been sanctioned earlir or a reference to the scheme was made in the address of the Governor or the budget speech of the Minister it does not automatically mean that such schemes can be announced or inaugurated or otherwise taken up after the announcement of elections while the Model Code of conduct is in operation, since they will clearly be intended to influence the voters. Such actions if undertaken will be considered a violation of the model code of conduct.
- 4. No fresh sanctions for governmental schemes should abe made. Review by political executive (Ministers etc.) and processing of beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till completion of elections. No fresh release of funds on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the Commission. This includes works under the Member of Parliament (including Rajya Sabha members) Local Area Development fund or MLAs/ MLCs Local area Development Fund, if any such scheme is in operation in the state.

- 5. No work shall start in respect of which even if work orders have been issued before the model code came into effect, if the work has actually not started in the field. These works can start only after the completion of election process. However, if a work has actually started, that can continue.
- 6. There shall be no bar to the release of payments for completed work(s) subject to the full satisfaction of the concerned officials.
- 7. Commission does not refuse approval for schemes undertaken for tacking emergencies or unforeseen calamities like providing relief to people suffering from drought, floods, pestilences, other natural calamities or welfare measures for the aged, infirm etc. In these matters, however, prior approval of the Commission should be taken and all ostentatious functions should be strictly avoided and no impression should be given or allowed to be created that such welfare measures or relief and rehabilitation works are being undertaken by the Government in office so as to influence the electors in favour of the party in power which at the same time will adversely affect the prospects of the other parties.

On Transfers and posting of Officials :

The Commission directs that there shall be a total ban on the transfer of all officers / officials connected with the conduct of the election. These include but are not restricted to :--

- (i) The Chief Electoral Officer and Additional / Joint / Deputy Chief Electoral Officers;
- (ii) Divisional Commissioners;

- (iii) The District Election Officers, Returning Officers, Assistant Returning Officers and other Revenue Officers connected with the Conduct of Elections;
- (iv) Officers of the Police Department connected with the management of elections like range IGs and DIGs, Senior Superintendents of Police and Superintendents of Police, Sub-divisional level Police Officers like Deputy Superintendents of Police and other Police officers who are deputed to the Commission under section 28A of the Representation of the People Act, 1951;
- (v) Other officers drafted for election works like sector and zonal officers, Transport cell, EVM cell, Poll material procurement & distribution cell, Training cell, Printing Cell etc. Senior officers, who have a role in the management of election in the State, are also covered by this direction.
- (vi) The transfer orders issued in respect of the above categories of officers prior to the date of announcement but not implemented till the time when model code came into effect should not be given effect to without obtaining specific permission from the Commission.
- (vii) This ban shall be effective till the completion of the election process.
- (viii) In those cases where transfer of an officer is considered necessary on account of administrative exigencies, the State Government may, with full justification, approach the Commission for prior clearance.
- (ix) No appointments or promotions in Government/ Public Undertakings shall be made during this, without prior clearance of the Commission.

On Misuse of Official Machinery :

- Official vehicles cannot be used for electioneering work. 'Official Vehicles' include all vehicles belonging to the—
 - Central Government;
 - State Government;
 - Public Undertakings of the Central and State Government;
 - Joint Sector Undertakings of Central and State Government;
 - Local Bodies, Municipal Corporations, Municipalities;
 - Marketing Boards (by whatever name known);
 - Cooperative Societies;
 - Autonomous District Councils, or
 - Any other body in which public funds, howsoever small a portion of the total, are invested, and also
 - Vehicles belonging to the Ministry of Defense and the Central Police Organizations under the Ministry of Home Affairs and State Governments.
- 2. It is open for a minister of the Union or State to make private visits using his or her private vehicle(s). For such private visits, the official personal staff of the ministers shall not accompany them. However, if a Minister is

traveling in some emergent situation, out of his HQ on purely official business, which canot be avaided in public interest, then a letter certifying to this effect should be sent from the Scretary concerned of the Department to the Chief Secretary of the state where the Minister intends to visit, with a copy to the Commission. during such tour, the Chief Secretary may provide the Minister with Government vehicle and accommodation and other usual courtesies for his official trip. However, immediately preceding or during or in continuatin of such an official tour. no minister can carry out or combine any election campaign or political activity. The Commission will keep watch on such arrangements in due consultation with its Chief **Electoral Officer.**

- 3. No Minister, whether of union or state, will summon any election related officer of the constituency or the State, for any official discussions during the period of elections commencing with the announcement of the elections. Only exception will be when a Minister, in his capacity as in charge of the department concerned or a Chief Minister undertakes an official visit to a constituency, in connection with failure of law and order or a natural calamity or any such emergency which requires personal presence of such ministers/Chief Ministers for the specific purpose of supervising review/ salvage/relief and such like purpose.
- 4. Ministers are entitled to use their oficial vehicles only for commuting from their official residence to their office for official work provided that such commuting is not combined with any electioneering or any political activity.

- 5. Ministers, whether of the Union or State, shall not combine <u>in any manner</u> their official tours with election work.
- 6. Whether on a private or official visit, no pilot car(s) or car(s) with beacon lights of any colour or car(s) affixed with sirens of any kind shall be used by any political functionary, even if the State administration has granted him a security cover requiring presence of armed guards to accompany him on such visit. This is applicable whether the vehicle is government owned or private owned.
- 7. Any official who meets the Minister on his private visit to the constituency where elections are being held shall be guilty of misconduct under the relevant service rules, and if he happens to be an official mentioned in Section 129(1) of the Representation of People Act, 1951 he shall also be additionally considered to have violated the statutory provisions of that Section and liable to penal action provided thereunder.

OTHER 'DOS AND DON'TS' FOR THE GUIDANCE OF THE CANDIDATES AND POLITICAL PARTIES TO BE OBSERVED FROM THE ANOUNCEMENT OF AN ELECTION AND UNTIL THE COMPLETION OF THE PROCESS OF ELECTION.

The Commission has drawn up a list of 'dos' and 'don'ts' to be followed by candidates and political parties after the announcement of elections and till the completion of the process of elections. The Commission has directed that this be given the widest possible publicity and its contents brought to the knowledge of all candidates and political parties including in the official language of the State. It must be clearly brought to the notice of candidates and political parties that the list of Bos' and Donts' is only illustrative and not exhaustive and is not intended to substitute or modify other detailed directions/instructions on the above subjects, which must be strictly observed and followed.

<u>DO.S.</u>

- (1) Ongoing programmes, which actually started in the field before the announcement of elections may continue.
- (2) Relief an rehabilitation measures to the people in areas affected by floods, drought, pestilence, and other natural calamities, can commence and continue.
- (3) Grant of cash or medical facilities to terminally or critically ill persons can continue with appropriate approvals.
- (4) Public places like maidans must be available impartially to all parties/contesting candidates for holding election meetings. So also use of helipads must be available impartially to all parties/ contesting candidates, to ensure a level playing field.
- (5) Criticism of other political parties and cnadidates should relate to their policies, programme, past record and work.
- (6) The right of every individual for peaceful and undisturbed home life should be fully safeguarded.
- (7) The local police authorities should be fully informed of the venue and time of the proposed meetings well in time and all necessary permissions taken.

- (8) If there are any restrictive or prohibitory orders in force in the place of the proposed meeting, they shall be fully respected. Exemption, if necessary, must be applied for and obtained well in time.
- (9) Permission must be obtained for the use of loudspeakers or any other such facilities for the proposed meetings.
- (10) The assistance of the police should be obtained in dealing with persons disturbing meetings or otherwise creating disorder.
- (11) The time and place of the starting of any procession, the route to be followed and the time and place at which the procession will terminate should be settled in advance and advance permissions obtained from the police authorities.
- (12) The existence of any restrictive orders in force in the localities through which the procession has to pass should be ascertained and fully complied with. So also all traffic regulations and other restrictions.
- (13) The passage of the procession must be without hindrance to traffic.
- (14) Co-operation should be extended to all election officials at all times to ensure peaceful and orderly poll.
- (15) All Workers must display badges or identity cards.
- (16) Unofficial identity slips issued to voters shall be on plain (white) paper and not contain any symbol, name of the candidate or name of the party.

- (17) Restrictions on plying of vehicles during the campaign period and on poll day shall be fully obeyed.
- (18) (Except voters, candidates and their election/polling agents), only persons with a specific valid authority letter from the Election Commission can enter any polling booth. No functionary however highly placed (e.g. Chief Minister, Minister, MP or MLA etc.) is exempt from this condition.
- (19) Any complaint or problem regarding the conduct of elections shall be brought to the notice of the observer appointed by the Commissions/Returning Officer/Zonal/Sector Magistrate/Election Commission of India.
- (20) Directions/orders/instructions of the Election Commission, the Returning Officer and the District Election Officer shall be obeyed in all matters related to various aspects of election.
- (21) Do leave the constitunecy after the campaign period is over if you are not a voter or a candidate or candidate's election agent from that constituency.

DON'Ts

- (1) Any and all advertisements at the cost of the public exchequer regarding achievements of the party/Government in power as prohibited.
- (2) No Minister shall enter any polling station or the place of counting, unless he or she is a candidate or as a voter only for voting.
- (3) Official work should not at all be mixed with campaigning/electioneering.

(4) No inducement, financial or otherwise, shall be offered to the voter.

é

1

- (5) Caste/communal feelings of the electors shall not be appealed to.
- (6) No activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes, communities or religious or linguistic groups shall be attempted.
- (7) No aspect of the private life, not connected with the public activities, of the leaders or workers of other parties shall be permitted to be criticized.
- (8) Other parties or their workers shall not be criticized based on unverified allegations or on distortions.
- (9) Temples, mosques, churches, gurudwaras or any place of worship shall not be used as places for election propaganda, including speeches, posters, music etc., on electioneering.
- (10) Activities which are corrupt practices or electoral offences such as bribery, undue influence, intimidation of voters, personation, canvassing within 100 meters of a polling station, holding of public meetings during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of the poll and conveyance of voters to and from polling stations are prohibited.
- (11) Demonstrations or picketing before the houses of individulas by way of protesting against their opinion or activities shall not be resorted to.
- (12) Subject to the local laws, no one can make use of any individuls's land, building, compound wall vehicles etc. for erecting flag staffs, putting up banners, pasting notices or writing slogans etc. without specific permission of the owner

(to be shown to and deposited with the Distirct Election Officer).

(13) No disturbances shall be created in public meetings or processions organised by other political parties or candidates.

(14) Processions along places at which another party is holding meetings shall not be undertaken.

- (15) Processionists shall not carry any articles, which are capable of being misused as missiles or weapons.
- (16) Posters issued by other parties and candidates shall not be removed or defaced.
- (17) Posters, flags, symbols or any other propaganda material shall not be displayed in the place being used on the day of poll for distribution of identity slips or near polling booths.
- (18) Loudspeakers whether statice or mounted on moving vehicles shall not be used either before 6 a.m. or after 10 a.m. and without the prior written permission of the authorities concerned.
- (19) Loudspeakers shall also not be used at public meetings and processions without the prior written permission of the authorities concerned. Normally, such meetings/processions will not be allowed to continue beyond 10.00 p.m. in the night and will be further subject to the local laws, local perceptions of the security arrangements of the area and other relevant considerations like weather conditions, festival season, examination period, etc.
- (20) No liquor should be distributed during elections.

29

- (21) On the day of the poll, no person who has been assessed to be having a security threat and therefore given official security shall enter the vicinity of a polling station premise (within 100 meters) with his security personnel. Further, on the day of the poll no such person shall move around in a constituency with his security personnel. If the person provided with official security happens to be a voter also, then he or she shall restrict his/her movementaccompanied by security personnel, to voting only.
- (22) No person who has been assessed to be having a security threat and therefore provided official security or who has private security guards for himself, shall be appointed as an election agent or polling agent or counting agent.
- NOTE.—<u>The above list of Do's' and Don'ts' is only</u> <u>illustrative and not exhaustive and is not</u> <u>intended to substitute any other detailed</u> <u>orders, directions/instructions on the above</u> <u>subjects, which must be strictly observed</u> and followed.

The clarification/approval of the Election Commission of India/Chief Electoral Officer of your State should be obtained in cases of doubt.

Please acknowledge the receipt of this letter.

Your's Faithfully,

c

¢

¢

ť,

Sd/-(Jai Priye Prakash) Deputy Election Commissioner.

By Speed Post ELECTION COMMISSION OF INDIA NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI—110001

31

No. 437/6/2009-CCBE March 2009 Dated 5th

To,

- 1. The Chief Secretaries to the Governments of All States and Union Territories.
- 2. The Chief Electoral Officers of Al States and Union Territories.
- 3. All Recognized Political Parties

Sub:—General Elections-Enforcement of the Model Code of Conduct-reg.

Sir,

I am directed to state that the Commission has considered various aspects in the context of the Model Code of Conduct during General Elections and decided to issue to following Guidlines regarding implementation/processing of the various projects, schemes, rural development programmes etc. by the Central/State Governments:—

> 1. All Model Code of Conduct related directions shall be issued only by the Commission. The Cabinet Secretariat or any other government agency should reiterate and disseminate the directions of the Commission for compliance.

- 2. RBI may continue to take decisions unhindered on monetary policy issues.
- 3. After the Model Code of Conduct comes into effect, the Ministry of Finance will need to take prior approval of the Commission on any policy announcements, fiscal measures, taxation related issues and such other financial relief. Similarly, other Ministries/Departments will need to take prior approval of the Commission before announcing any relief/benefit.
- 4. The following types of existing works can be continued by the government agencies <u>without</u> reference to the Election Commission after the Model Code of Conduct comes into force:—
 - (a) Work-Projects that have actually started on the ground after obtaining all necessary sanctions;
 - (b) Beneficiary-projects where specific beneficiaries by name have been identified before coming of the Model Code Conduct into force;
 - (c) Registered beneficiaries of NREGA may be covered under existing projects. New projects under NREGA that may be mandated under thee provisions of the Act may be taken up only if it is for the already registered beneficiaries and the project is already listed in the approval and sanctioned shelf of projects for which funds are also already earmarked.

C

0

۷

- 5. There shall be no bar to release of funds for the completed portion of any work subject to observance of laid down procedures and concurrence of finance department.
- 6. The following type of new works (whether beneficiary or work orinted) that fulfill all the following conditions before Model Code of Conduct comes into effect, <u>can be taken up</u> <u>under intimation to the Commission</u>—
 - (a) Ful funding has been tied up.
 - (b) Administrative, technical and financial sanctions have been obtained.
 - (c) Tender has been floated, evaluated and awarded and
 - (d) There is contractual obligation to start and end the work within a given time frame and failing which there is an obligation to impose penalty on the contractor.
 - (e) In case of any of the above conditions not being met in such cases prior approval of the Commission shall be sought and obtained.
 - 7. Global tenders already floated, can be evaluated and finalized where any time limits are specified for such purpose.

8. Tenders other than global tenders, that are already floated may be evaluated but not finalized without prior approval of the Commission. If they are not already floated, they shall not be floated whithout prior approval of the Commission.

ĉ

- 9. Commission invariably takes a humanitarian view on the work that are necessitated due to man-made or natural calamities.
 - (a) Ex-gratia payments and gratuitous relief in the aftermath of a disaster can be given directly to the persons affected at the current rates/ scales of assistance presently in force, under intimation to the Commission. No change in the extant and prescribed scales of payments, however, shall be made in the existing rates/ scales without prior permission of the Commission.
 - (b) Payment directly to the hospitals from CM's/ PM's Relief Fund, in lieu of direct cash payment to individual patients (beneficiaries) will be permissible without reference to the Commission.
 - (c) Emergent relief works and measures that are aimed to mitigate the hardships, directly and solely, of the persons affected in a disaster may be taken up under intimation to the Commission.

- (d) However, new works that may be necessitated by way of preventive measures to mitigate the likely effects of natural disasters like repair of embankments, water channels etc. can be taken up only with prior permission of the Commission.
- (e) Also, an area shall not be declared drought/ flood affected or any such calamity affected without prior approval of the Commission. The extent of area already declared to be calamity-effected cannot be expanded without prior approval of the Commission.
- (f) Similarly, any selective assistance to a group of persons from the PM's or the CM's Relief Fund will require prior approval of the Commission.
- 10. The following type of activities will require prior permission of the Commission:
 - (a) New works and project cannot be taken up from discretionary funds of whatever nature. Discretionary fund, in this context, includes funds, which are provided for in the budget in a generic manner and for which no identified and sanctioned project exists prior to Model Code of Conduct coming into effect.
 - (b) Proposals for revival of sick PSU's, governmental take over of enterprises etc. (or

any policy decision on similar lines) cannot be taken up.

- (c) Fresh auctions of liquor vends etc. cannot be held even if the annual auction time falls within the Model Code of Conduct period. Where necessary, the government should make interim arrangements as provided in their respective laws.
- (d) Area of operation of any existing project/ scheme/programme can not be extended or expanded.
- (e) No land allocation shall be made by the government to any entity, whether individual or an enterprise.
- (f) Signing a MOU or an agreement where the government is a party will also require prior clearance by the Commission.
- 11. Regular recruitment/appointment or promotion through the UPSC, State Public Service Commissions or the Staff Selection Commission or any other statutory authority can continue. Recruitments through non-statutory bodies, will require prior clearance of the Commission.
- 12. While starting any work (including any relief work) or developmental activity no formal function shall be held involving any political

functionary. As a matter of good practice, normal functions and publicity even with the presence of official functionaries should be kept to the minimum.

- 13. Where works are to be undertaken or functions are to be held in fulfillment of international commitments, prior concurrence of the Commission shall be taken.
- 14. All Government of India reference to the Election Commission of India shall be made preferably through the Cabinet Secretariat. In so far as reference from State Governments are concerned, the same shall be made to the Election Commission of India through the Chief Electoral Officer (CEO) of the state concerned.
- This may be brought to the notice of all concern authorities.

Yours faithfully,

Sd./-(K. AJAY KUMAR) SECRETARY

परिशिष्ट-एक

6

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28-क, 129, 134 एवं 134-क के उद्धरण

28 क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझना. किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किये जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदानुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे.

129. निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिये जाने में कोई असर डालेंगे—

- (1) जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आक्रिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा.
- (2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य-
 - (क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का, और न

- (ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का, और न
- (ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा.
- (3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा,या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा.
- (4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा.

134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग—(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा.

(क) उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय होगा.

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत् नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी.

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है. ये है जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा ''पदीय कर्तव्य'' पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तद्नुसार लगाया जाएगा, किन्तु इसके अन्तर्गत वह कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं.

ŧ

134 क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति—यदि सरकार की सेवा में या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो संकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा.

١

41 परिशिष्ट-दो

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. 4/2001/न्यायिक/II, दिनांक 07-02-2001 का उद्धरण

''कि निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन ड्यूटी के लिए नियुक्त अधिकारियों, स्टाफ और पुलिस के ऊपर भारत निर्वाचन आयोग अनुशासनिक कार्यों की सीमा होगी—

(क) ड्यूटी के प्रति अवज्ञा अथवा अवहेलना के लिए किसी भी अधिकारी/पदाधिकारी/पुलिस कार्मिक को निलंबित करना;

(ख) किसी भी अधिकारी/पदाधिकारी/पुलिस कार्मिक के स्थान पर अन्य ऐसे व्यक्ति को रखना और जिस व्यक्ति को बदला गया है, उसके आचरण की उचित रिपोर्ट देते हुए उसे उसके कैडर में वापस भेजना, जहां का वह है;

(ग) निर्वाचन ड्यूटी के दौरान ड्यूटी को अवज्ञा अथवा अवहेलना के कृत्य के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने की सक्षम प्राधिकारी से सिफारिश करना. ऐसी सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी और निर्वाचन आयोग की, की गई कार्यवाही से निर्वाचन आयोग की सिफारिशों की तारीख के छह महीने के अंदर संसूचित किया जाएगा;

(घ) भारत सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह देगी कि उन्हें भी उपरोक्त सिद्धांतों और निर्णयों का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि निर्वाचन कर्मचारियों की बड़ी संख्या उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं.''.

शाकेमुभो—661—मुनिप—25-2-19—7,000.

